

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 10/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. _____ (अ) .- केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 717 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 और सा.का.नि. सं. 1264(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 38/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "31 मार्च, 2018" अंको और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.स. 349/58/2017-जीएसटी (भाग.)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 8/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 717(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 1264(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 38/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित की गई थी।